भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2447
उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट की उपलब्धता

†2447. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2019 से अब तक, राज्य-वार और वर्ष-वार ऐसे सरकारी विद्यालयों का प्रतिशत क्या है जिनमें कार्यशील इंटरनेट कनेक्शन मौजूद हैं,
(ख) क्या सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा में सुधार करने संबंधी कोई योजना है;
(ग) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या डिजिटल शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक यूडाइस+ के अनुसार इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले सरकारी स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) और (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन/करार करने और कंप्यूटर उपकरण वाले सभी सरकारी स्कूलों को एफटीटीएच इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने हेतु एक परामर्शी जारी की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि इंटरनेट शुल्क निम्नलिखित से पूरा किया जा सकता है:

- समग्र शिक्षा के तहत संस्वीकृत आईसीटी प्रयोगशालाओं/स्मार्ट कक्षाओं के लिए इंटरनेट प्रभार समग्र शिक्षा के तहत जारी किए जा रहे आवर्ती प्रभारों से पूरा किया जा सकता है।

- जिन स्कूलों में समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी/स्मार्ट कक्षाएं संस्वीकृत नहीं हैं और जिनमें कंप्यूटर उपकरण, इंटरनेट प्रभार हैं, उन्हें समग्र शिक्षा के तहत जारी किए जा रहे प्रबंधन निगरानी मूल्यांकन और अनुसंधान (एमएमईआर) निधि से पूरा किया जा सकता है या किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारी निधि से पूरा किया जा सकता है।

(घ) और (ड.): समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में VI से XII कक्षा वाले सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों के लिए 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान, निम्नलिखित दो विकल्पों के लिए उपलब्ध होगा:

(i) विकल्प I: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे अपनी आवश्यकता और अपेक्षानुसार आईसीटी अथवा स्मार्ट कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन की स्थिति में, एक अतिरिक्त आईसीटी लैब पर भी विचार किया जा सकता है। इस योजना से 100 से कम नामांकन, 100 - 250 और 250 - 700 नामांकन के लिए स्कूल नामांकन के आधार पर चरण-वार वित्तपोषण प्रदान किया जाता है, जिसके लिए पूंजीगत व्यय क्रमशः 2.5, 4.5 और 6.4 (लाख में) रुपए है। 700 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों के लिए, योजना में अतिरिक्त निधि के आवंटन पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 1,400 नामांकन वाले स्कूलों को दोनों प्रकार के व्यय के लिए निधि आवंटन की 2 यूनिट प्राप्त हो सकती हैं।

(ii) विकल्प II: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं।

700 और उससे कम छात्रों वाले स्कूल के लिए आईसीटी लैब हेतु आवर्ती व्यय 2.4 लाख रुपये प्रति स्कूल है।

स्मार्ट कक्षाओं के लिए, गैर-आवर्ती और आवर्ती सीमा अधिकतम 2 स्मार्ट कक्षाएं प्रति स्कूल के लिए 2.4 लाख रुपए और 0.38 लाख रुपए है।

*****

माननीय संसद सदस्य श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा 'सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट की उपलब्धता' के संबंध में दिनांक 18.12.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2447 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

इंटरनेट कनेक्शन/सुविधाओं वाले सरकारी स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20 (%)	2020-21 (%)	2021-22 (%)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19.9	26.6	38.9
आंध्र प्रदेश	9.1	8.8	45.0
अरुणाचल प्रदेश	3.4	3.8	15.3
असम	4.3	4.8	10.3
बिहार	2.1	2.2	5.9
चंडीगढ़	100.0	100.0	100.0
छत्तीसगढ़	3.4	8.5	33.8
दादरा एवं नगर हवेली	14.7	27.0	50.0
दमन और दीव	70.6		
दिल्ली	88.2	89.8	100.0
गोवा	8.5	8.5	36.7
गुजरात	66.9	72.4	94.2
हरियाणा	19.9	21.2	29.8
हिमाचल प्रदेश	14.0	14.2	27.1
जम्मू और कश्मीर	5.2	5.3	22.3
झारखंड	30.3	28.8	33.6
कर्नाटक	7.7	6.1	10.7
केरल	87.6	87.2	94.6
लद्दाख	1.9	56.7	40.8
लक्षद्वीप	93.3	93.3	97.4
मध्य प्रदेश	3.8	4.1	17.8
महाराष्ट्र	10.9	11.8	28.2
मणिपुर	2.4	2.8	11.8
मेघालय	1.3	1.3	14.3
मिजोरम	2.4	4.3	6.0
नगालैंड	3.0	3.5	43.4
ओडिशा	2.7	2.8	8.1
पुदुचेरी	42.7	94.8	100.0
पंजाब	35.2	99.6	46.8
राजस्थान	24.1	28.0	53.5
सिक्किम	13.2	13.6	26.7
तमिलनाडु	18.0	18.0	24.7
तेलंगाना	8.0	8.2	9.2
त्रिपुरा	1.6	2.8	16.0
उत्तर प्रदेश	2.9	3.0	8.8
उत्तराखंड	6.4	6.3	15.6
पश्चिम बंगाल	9.7	10.3	15.5
कुल	**11.6**	**13.6**	**24.2**

स्रोत: यूडाइस+